Development Projects Stalled Due to New Forest Laws

2202. SHRI H. N. BAHUGUNA : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether various development projects such as roads, bridges, drinking water, school and hospital buildings are at a standstill on account of the new forest laws which place a total restriction on use of forest land even for Government rural development projects as these are to be cleared by Central Government ; and

(b) whether any M.Ps have been writing to Government for taking necessary and suitable steps in the matter and if so, the corrective action taken or proposed to be taken ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) The only new fores law is the Forest (Conservation) Act, 1980. It is not true that it places total restriction on use of forest land for even Government Projects. It actually provides for prior approval of the Central Government in any case, involving diversion of forest land to non-forest purpose or dereservation of any reserved forest. The principle objective of the Act is to chack indiscriminate use of forest land for non-forest purposes. To ensure that the provisions of the Act do not hold up the execution of development projects, detailed quidelines have been laid down and the procedure for submission of proposals to the Central Government has been simplified. Besides, proposals for release of forest lands are considered on priority by the Central Government.

(b) Letters from some Members of Parliament have been received, which have been attended to promptly. Such letters have mostly regested for early clearance of particular projects and to delays in processing of proposals. On examination, it was found that proposals were generally pending at the State level. Hence, actailed guidelines have been laid down to expedite disposal of cases arising under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the State Governments have been advised to gear up the machinery for this purpose, as well as to monitor the progress regularly.

विट्ठलभाई पटेल भवन में संसद सदस्यों के लिए कैंटीन की व्यवस्था

2203. श्री दया राम शाक्य : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विट्ठलभाई पटेल भवन में कई संसद सदस्य निवास करते हैं ;

(ख) यदि हां, तो वहां संसद सदस्यों और उनके मेहमानों के लिए कैन्टीन की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार वहां एक कैन्टीन की व्यवस्था करने का है, और

(घ) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था कब तक की जाएगी और यदि नहीं तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां ।

(ख) और (घ) कैन्टीन की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर आवास समिति की 6-1-84 को हुई बैठक में चर्चा की गई थी । इस समिति ने निर्णय लिया था कि वे विट्ठलभाई पटेल हाउस का दौरा करेंगे

और यह देखेंगे कि क्या वहां कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध है या नहीं। सरकार आवस समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही हैं।

कृषि उपज के लिये मंडियां

2204. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपज के लिए मंडियों की संख्या पर्याप्त होने के कारण किसानों को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या भारत सरकार का उक्त मंडियों के प्रसार के लिये कोई योजना तैयार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई) : (क) कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना करना विभिन्न उपायों में से एक उपाय है ताकि किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य मिल सके। राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 31-3-83 तक 5430 नियमित मंडियों की स्थापना की गई थी।

(ख) और (ग) कृषि विपणन राज्य का विषय है अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों ने कृषि मंडियों को नियमित करने के लिए कानून बनाए हैं। तथापि, चुनी हुई नियमित ग्रामीण मंडियों के विकास की वर्तमान योजना के अंतर्गत भारत सरकार कृषि मंडियों की आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए निम्नलिखित दरों पर केन्द्रीय सहायता भी देती हैं :...

(1) वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास, मूंगफली, काजू, नारियल तम्बाकू, आलू, प्याज, मिर्च तथा पान के पत्ते) का व्यापार करने वाली नियमित मंडियां ..... 4 लाख रुपये प्रति मंडी।

(2) कमान क्षेत्रों में स्थिति नियमित मंडियां — 5 लाख रुपये प्रति मंडी।

(3) फलों तथा सब्जियों के लिए टर्मिनल मंडियां —15 लाख रुपये प्रति मंडी।

(4) प्राथमिक ग्रामीण मंडियां — 15 लाख रुपये प्रति मंडी।

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित आदिवासी विकास कार्यक्रम, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए पिछड़े क्षेत्रों में थोक मंडिया — 5 लाख रुपये प्रति मंडी।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

2205. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंग कि :